न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 59 / 2023
(GCMS 2023/328)(212897847025327)

श्री कौर सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 09, गांव खाटसजवार तहसील श्रीगंगानगर राजस्थान पिन– 335062 (मोबाईल नम्बर : 94145–08221)

बनाम

तहसीलदार एवं लोक सूचना अधिकारी राजस्व विभाग, **सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कौर सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री कौर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2023 को पेश किया था। तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कौर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2023 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

1. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक श्री बृजमोहन बजाज [illegible] वर्तमान में गिरदावर हल्का खाटसजवार के पद पर [illegible] है, कि सर्विस बुक (सेवा पुस्तिका) की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक उक्त श्री बृजमोहन बजाज जो कि वर्तमान में गिरदावर हल्का खाटसजवार के पद पर तैनात है कि पर्सनल फाईल (व्यक्तिगत पंजिका) की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

3. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक उक्त श्री बृजमोहन बजाज जो कि वर्तमान में गिरदावर हल्का खाटसजवार के पद पर तैनात है, के खिलाफ आज तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, कितनी शिकायतों में जांच की गई व कितनी शिकायतें लम्बित है, तथा कितनी शिकायतों में नतीजा दिया गया है? समस्त शिकायतों की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं शिकायतकर्त्ताओं के नाम, पता, पिता का नाम, जाति सहित की गई प्रत्येक शिकायत की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

4. उक्त कर्मचारी के खिलाफ की गई शिकायतों के सम्बन्ध में आज तक क्या–क्या कार्यवाही कब–कब की गई तथा उक्त कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई विभागीय कार्यावही की गई है अथवा प्रस्तावित है, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

5. उक्त कर्मचारी सादुलशहर तहसील कार्यालय में कितने दिनों तक किस आदेश के अधीन [illegible] तहसीलदार के पद पर आसीन रहा? उक्त कर्मचारी के [illegible] तहसीलदार के पद पर रहने के कार्यकाल की अवधि सहित सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक रीडर /2023 /02 दिनांक 02.01.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री कौर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 9, गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर के आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2023 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2023/690 दिनांक 01.12.2023 द्वारा आवेदनकर्त्ता को जरिये रजि. एडी सूचना प्रेषित कर दी गई है। इस कार्यालय द्वारा आवेदनकर्त्ता को भेजी गई सूचना की प्रति मय संलग्न दस्तावेज श्रीमानजी को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित कर निवेदन है कि अपील को दाखिल दफ्तर करने का श्रम फरमावें।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> सादुलशहर

चूंकि तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी अपने पत्रांक राजस्व/2023/आरटीआई/690 दिनांक 01.12.2023 द्वारा जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो। अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है**। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, **किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.0[illegible]24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर